The question was put and the motion was adopted.

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE CITIZENS RIGHT O REPLY IN NEWSPAPERS AND NEWS MAGAZINES BILL, 1993

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे समाचार पत्र, समाचार पत्रिका और ऐसे अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित नागरिकों पर लगाये गये आरोप या किये गये आक्षेप अथवा उनसे संबंधित गलत समाचार या गलत उद्धरण या दुर्व्यपदेशन के संबंध में उन्हें उत्तर देने का अधिकार प्रदान करने और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

The question was put and the motion was adopted.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : म विधयक जो परःस्थापित करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We will now take up the inconclusive discussion on The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 1991 moved by Shri V. Narayanasamy. Shri J. S. Raju.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 1991—CONT'D.

*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, while moving this Bill on the last occasion I spoke at length as to why the benefits and privileges enjoyed by the Scheduled Caste people should not be forfeited when they leave Hinduism or Sikhism to embrace Christianity or any other religion. While participating in the discussion that day, I supported the Bill on behalf of D.M.K. asserting the need to protect the rights of Delit Christians. However I could not conclude my speech that day for the want of time.

Though many Hon'ble Member supported the Bill, a few of them Shri Sang Priya Gautam of B.J.P in particular, raised certain doubt with a view to oppose the Bill. Shri Gautam struggled hard to explain that there is no casteism in Christianity. Although he is not persent in the House now for different reason, I wish to answer the points raised by him without any personal reference to the Hon'ble Member.

It is generally opined that there is no casteism in Christianity there is no discrimination in Christianity. Christianity as a religion does not speak of cast division But it is a well known fact that Christians in India are known by their castes even today. The evils of caste are very much there in Christianity as well. When Dalit Christians of I.A.S., I.P.S. and other such coveted Government services visit their villages, they are treated only as Schaduled Castes by the cast Hindus there. Even the education the Degrees, the position they hold and the new religion do not protect them from the ill-treatment of the upper caste people. Their attitude towards Dalit Christians is just similar to that towards Dalit Hindus.

I wish to cite a case where cast discrimination in Christianity continues even after death. In Tam Nadu, within Trichy city limits there is a place known as Melaputhur There is a cemetery in that place and that cemetery is divided by a wall across. On one side Scheduled Caste Christians are burried and on the other side the upper caste Christians are burried. This practice has been going on right from 1932. Once some people went to the Madras High Court against this deplorable practice of untouchability even after death.

*English translation of the original speech delivered in Tamil .

But to the shock of every one, the High Court held that the practice should continue. So, after this verdict of the High Court, the dividing wall, which was only 4 feet high was raised to 8 feet. Because of the stamp of approval given by the Court this abominable practice continues to this day.

Even in Churches, discrimination against Scheduled Caste people continues. In Dindugal Anna district in Tamil Nadu, there is a village known as Panjampatti. *Panjam* in Tamil means famine. There are many villages in the country stricken by famine. I am referring to just one. In that Panjampatti village there is a Church where upper caste Christians and Scheduled caste Christian and seated separately. There is another village Thondamandhiri in my Assembly Constituency. I had been to that village several times and I know it very intimately. In that village they have a cart for carrying the dead bodies But that cart is denied to Scheduled Caste Christians by upper Caste Christians mercilessely. Because of this there was violance and as a result there is a case in the Court. So also during Church festivities saparate decorated Church-Cars are made for both upper caste and Scheduled Caste Christians. This clearly indicates that the social stigma attached to the Scheduled Caste does not change even after conversion to Christianity.

While I was speaking on this Bill earlier, I referred to Article 25 of the Constitution which gives the right to every citizen to profess or pracise any religion. Having given this right to practise any religion, one wonders how could the privileges enjoyed by one as a Hindu be curtailed in conversion to Christianity. Even Constitutional experts like Mac Gallentar and Justice K. K. Mathew have held that forfeiture of rights of a citizen on the grounds of conversion to another religion is against the very spirit of Constitution. Father of the nation Mahatma Gandhi and the Champion of the oppressed classes Dr. Baba Saheb Ambedkar have also held that there should not be any discrimination on the basis of religion. To top it all, Christianity itself accepts that there is discrimination and unouchabiliy in its fold. It admits that there is illiteracy and socio-economic backwardness in Christianity. In 1988, the Revd. Bishops of the Catholic Churches in India held a conference at Kottayam in Kerala and passed a resolution highlighting the discrimination against the Scheduled Caste people even after conversion to Christianity. The resolution observed with great concern the illiteracy, poverty and socio-economic backwardness amongst the SCs in Christian fold because of the deep-rooted casteism that has been practised for several centuries. Since SCs of Hinduism and Christanity are one and the same in the eyes of the caste ridden society and that the Dalit Christians are no better than their brethren in Hindu fold, the resolution urged the Government to treat the SC Christians on par with SC Hindus. The Bishops demanded amending of para 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 to provide all the benefits to the SC Christians just as SC Hindus.

Sir, Dalit Christians are as poor as Dalit Hindus. Various Committees set up by the Government to go into the socio-economic conditions of SC Christians have held this view. Even Mandal Commission which made a detailed study of the reservation issue observed,

> "Even after conversion to other religion the stigma of caste follows the Scheduled Caste people like shadow."

The Commission further observed,

> "It is possible that reservation for Dalit Christians was not demanded in the Constituent Assembly. But today, they need to be given reservation."

Mandal Commission has observed this in para 36 of Chapter 10 and para 11 of Chapter 12.

Hon'ble Member Shri Gautam asked as to why the issue of giving reservation to Dalit Christians was not raised in the Constituent Assembly. Actually, SCs of all religious groups were getting equal privileges on the basis of the popular Communal G.O. till 1950. Following a judgement of the Supreme Court in 1950, Dalit Christians were denied this privilege. Since SCs of all religions were getting equal benefits there was no need to ask for any special concession for Dalit Christians before 1950.

Mr. Vice Chairman, Sir, so far, representation to ministers and officials for treating SC Christians on par was made as many as 96 times. But the Government has not heeded to the request. Another argument that the SC Hindus would be affected if SC Christians are given reservation is baseless and a figment of imagination. After having gone into the details, the Forum of SC/ST Members of Parliament passed a resolution demanding the grant of all concessions to SC Christians just as SC Hindus. It is a folly to say that the present percentage of reservation is not sufficient even for SC Hindus and that the SC Christians would take away a bulk of it if allowed similar concessions. This is because even the 18-19 per cent reserved for SCs and 1-2 per cent reserved for STs is not filled. Right from the time of Mrs. Indira Gandhi to Rajiv Gandhi and even to this day we find lot of backlog of vacancies in all categories of posts. There are many reasons for that. I don't want to go into it now. But the fact is, just 10 to 15 per cent of the vacancies get filled and the rest remain unfilled for years. Therefore, I take this opportunity to allay the fears that SC Christians would take away what has been given to SC Hindus.

After all, Dalit Christians hav not come from foreign countries. The haven't come from England, France o United States. They are also th aborgines of this land. They wer Hindus. Because of the discrimina tion meted out to them by cast Hindus, they left Hindu fold. Th discrimination against SCs was s much that SCs were threatened tha molten lead would be poured int their ears if they dared listen to rea ding or discourse by scholars. Uppe caste people even threatened to cho off the posterior of SCs if they sa equally with the caste Hindus. Sinc the *Vedas* and *Upanishads* gave sanc tion to such inhuman behaviour man SC people thought it better to con vert to Christianity. Even *Manusmri ti* speaks of such discrimination. is said that *Manusmriti* is the basi on which our Constitution was fra med. The cumulative effect of all suc discriminations resulted in largesc exodus of Scheduled Caste peopl from Hindu fold. When they embra ced Christianity, they had at leas some kind of access to educatio and general hygiene.

It is strange that, in a countr where changing of political partie is freely allowed, conversion of re ligion should be viewed so seriousl so as to affect one's livelihood. Sinc I have already spoken at length, don't want to take the time of th House. I appeal to the Government t accept this Bill in principle. Hon'bl Minister Shri Thangabalu is here. H knows very well the plight of Dali Christians. Hon'ble Minister Shr Balram Jakar is also here. Whenever he rises to speak in the House, find him saying "I will do this for "my Dalit Christians" and pursuad ple" and so on. I feel so happy to hear such things. So, he should take up this issue also a "my Dalit Christians" and pursu the Government to bring a Bill i the next session and render justice t the Dalit Christians.

Thank you.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradsh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I first congratulate my colleague, Mr. Narayanasamy, for bringing this Private Members' Bill, in the form of a Constitutional amendment, and I hope his party Government Minister, Mr. Thangka Balu, who is present in the House, will accept this amendment because it is long overdue. This is a matter of rectification of the disabilities introduced by the caste system. Of course, the country should know, the younger generation should know that the caste system has no support in the divine literature and divine scriptures of Hidnu religion. There is no reference to caste in the Vedas or the Upanishads and even the rishis, who created the castes—Bhrigu and Bhardwaj—they both had made it very clear that caste has nothing to do with birth and somewhere over the centuries, it got associated with birth and the sooner we abolish and eliminate the caste system, the stronger will be the society that we are in. Therefore, in the long run objective, it should be for all of us that the caste system itself should be abolished. But till that goal is acheived, the sections which are being deprived and which are disabled, have to be given special preference to be bro' ught on a part with those sections which have made advancement. In that context, the question has now come whether the reservation meant for the Scheduled Caste Hindus should be extended also to the Scheduled Caste Christians. Mr. Vice-Chairman, this reservation is not a donation by the forward castes to the Scheduled Castes. It is a part of holy pact that was signed between Mahatma Gandhi and Ambedkar. In fact, Mahatma Gandhi did not sign it. It was Madan Mohan Malaviya who signed it and Dr. Ambedkar made a great sacrific in giving up the separate electorate system offered to them by the Britishers. As a part of the Pune Pact, it was agreed that when India became independent, reservation would be there for the Scheduled Castes. Now, therefor, one should not take this as some kind of an offer or a concession or a grant from the forward castes to the Scheduled Caste community. It is a matter of a contract; it is a matter of pact and it is something which they have won by sacrifice. By the single act of rejecting the separate electorate system, Dr. Ambedkar did not allow another partition that could have taken place and which was the mischievous aim of the Britishers at that time. In recognition of that great role, we have to therefore go out of our way to see that this community is able to join the mainstream which they have been denied.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the question of extension of these reservations, which have been given to the Scheduled Caste Christians, has been debated a number of times. In fact, my colleague, in Tamil Nadu, Ilaya Perumal, who was with me in the struggle there, has produced a report which is now known as the report of Ilaya Perumal Commission. In 1969, he went to every village and found that the Scheduled Casets Christians were treated exactly in the same manner as the Scheduled Caste Hindus. The disabilities that they had as Hindus, are carried over to Christians. This is something which has been known and seen and therefore, there is no need to do any great research on the subject. I would like to draw your attention to the reaffirmation of that point by the Supreme Court in the latest so called Mandal Judgement. In this Judgement the Supreme Court says very clearly—I will read it out from the AIR 1992 Supreme Court Judgement; eight out of the nine Judges have stated this—The Supreme Court through a nine-Judge bench, majority judgement, in the Mandal case categorically established the fact "The change of religion does not change caste and the disabilities of the Scheduled Castes converted to Christianity continue after conversions on par with other

Scheduled Castes and other religions." And this view was supported by eight out of nine Judges. The Judgement goes into great detail about how Christian Nadas are there and Christian Reddys are there and the caste configuration continues even in the Christian community. Therefore, one does not need any more authority than the latest Judgment of the Supreme Court and, in fact, in the Mandal Reservation Order, certain religious groups who were not Hindus, have been included on the ground that the Constitution does not forbid that, because the Constitution talks about socially and economically Backward Classes and not castes. But, I would like to say here also...(*Interruption*) ... Yes, educationally, SEBCs. I would like to say here even on the Scheduled Caste question—I am referring to the Presidential Order which came out of the power in the Constituion (Article 341(1)—that the Constitution does not put any limitation. It was a wrong interpretation of what is mentioned in the Presidential Order, particularly para 3 which put the restriction of reservation for Scheduled Castes as not being confined to Hindus. Therefore, it is not very difficult to change the regulation to see that the Christians also are included. The whole object of reservation, Mr. Vice-Chairman,—which I may say in conclusion—is that we want to make all of them join the mainstream. One advantage India has over other communities which are divided,—take for example the United States which has introduced reservation for Blacks; they have a problem, that the Blacks cannot be easily integrated into the mainstream of society because of colour differences—is in India various groups can be easily integrated into one community because there is no physical difference between the Scheduled Castes and the other castes. So if the Scheduled Castes get th same education, they get the same food, the same opportunities. they will, in fact, be the same as t rest of the mainstrream society.. (*Interruption*)... They are bei kept out of it. They are bei denied opportunities But, in fact, this fair opportunity is given to son handicapped in vew of what th have suffered, then it will be ve soon that our societies will become very cohesive one because we do suffer the kind of disabilities oth multiracial societies suffer. We a in fact, one society despite all t heroic efforts made by the Britishe to divide us on caste basis and bog theories like Aryans and Dravidia an so on. All that now is falli apart. Now the time has come f us to integrate the whole of India a take the necessary steps to see th everybody gets a part of fair share the opportunities in the country a this Bill, that Narayanasamy has con forth with, is a part of that effort; commend it and I urge upon the Go ernment to accept the amendmer

Thank you.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सार्थ श्री वी. नारायणसामी द्वारा लाए गए इ विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुई **और मैं** उनको धन्यबाद देना चाहती ह बधाई देना चाहती हूं कि श्री नारायण सामी ने यह विधेयक लाकर सरकार क ध्यान आकर्षित करने का जो प्रयास कि है समाज के उस ताने-बाने की तरफ और उस व्यवस्था की तरफ जिससे आ हमारा पूरा समाज और पूरा भार ग्रसित है और उसके कारण बहत सार सामाजिक अव्यवस्था समाज में फैल हुई है । यही नहीं, मैं तो यह भी कहूंग कि यह जात-पात व्यवस्था, अनुसूचि जातियों पर होने वाले शोषण या ज उनकी दुर्दशा होती है, उस दुर्दशा प कुछ राजनीतिक दलों की जान मिल हुई है, उनमें प्राण फंके हुए हैं इनक दुर्दशा के कारण । मैं कहना चाहती कि एक तरफ तो बाबा साहब डा अम्बेडकर ने जब धर्म-परिवर्तन किया औ बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने क

कि हिन्दू धर्म में जन्म लेना मेरे बस में नहीं है लेकिन हिन्दू धर्म त्यागकर मरना मेरे बस में है और मैं हिन्दू धर्म में रहकर मरना नहीं चाहता । उन्होंने किस प्रकार की पीढ़ा से ये शब्द कहे होंगे, उसका अनुभव किया जा सकता है ।

मान्यवर, अभी पिछले हफ्ते ही बिहार में जो धर्म-परिवर्तन की बात उठी और इसमें केवल अनपढ़ लोग ही नहीं, पढ़े-लिखे लोग, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अफसर भी इसमें शामिल थे और कुछ राजनीतिक लोग भी थे । जहां एक तरफ अनुसूचित जातियों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए जा रहे हैं और मैं समझती हूं कि धर्म-परिवर्तन से आर्थिक दशा में और आर्थिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक सोच में कुछ परिवर्तन हो सकता है । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां एक ओर धार्मिक धर्म-परिवर्तन से हमारे क्रिश्चिएन भाइयों की दुर्दशा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं और यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश में जो आरक्षण है अनुसूचित जातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, जो अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरक्षण में किया था—हमारी कांग्रेस सरकार ने आरक्षण सुनिश्चित किया, उसको घोषित किया और अगर किसी ने अनुसूचित जातियों का स्तर उठाया है, आर्थिक स्तर में सुधार किया है, पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार किया है, कुछ योजनाएं बनाकर, कुछ प्रोजेक्ट बनाकर उनकी स्थिति में अगर सुधार लाए हैं तो केवल कांग्रेस वाले ही लाए हैं । बाकी लोगों ने तो केवल प्रचार किया है और केवल अपनी राजनीतिक हैसियत बनानी चाही है । मैं कहना चाहती हूं कि राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए अनुसूचित जातियों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं ।

महोदय, यहां आरक्षण का प्रश्न आता है, मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूं । यह हमारा 13 सितम्बर का एक प्रश्न था जिसमें माननीय श्रम मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें केवल अनुसूचित जातियों के आंकड़े हैं, अनुसूचित जनजाति के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । मान्यवर, उसमें 25 राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 25 प्रदेशों में से 23 प्रदेशों के आंकड़े हैं ।, दूसरे केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान-निकोबार चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली आदि, इनमें से तीन स्थानों के जो आंकड़े हैं, मुझे वे आंकड़े देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ ।

महोदय, इसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति के जो ग्रेज्युएट लोग हैं वे हैं 2,57,900, जो प्रतिक्षा सूची में दर्ज हैं । इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं जो एम.ए. की डिग्री हासिल किए हुए हैं उनकी संख्या 33640 है । महोदय, इसी तरह तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर देश भर में 8090 लोग विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं और 2440 डाक्टर जो स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल किए हुए हैं, वे आज बेरोजगार घूम रहे हैं । यह आज अनुसूचित जाति के लोगों की दुर्दशा है । इसी तरह से 21850 लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उनके नाम विभिन्न रोजगार कार्यालयों में रोजगार हेतु प्रतिक्षारत् हैं । यह आंकड़े केवल अनुसूचित जाति के लोगों के हैं । अनुसूचित जनजाति के आंकड़े इससे भिन्न हैं । महोदय, जहां पर बहुत से लोग हैं जो बी.ए., एम.ए. करने के बाद ओवर-एज हो जाते हैं तथा नौकरी न मिलने के कारण वे दूसरे रोजगार में लग जाते हैं, जिसमें कहीं रिक्शा भी खींचते हैं और कहीं कुली का काम करते हैं, जो सब शिक्षित लोग हैं । उनकी दशा में भी कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है ।

महोदय, माननीय कल्याण मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । पिछले दिनों कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी, उसे मैंने अखबारों के माध्यम से देखा है कि जहां-जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें शासन में

आई हैं वहां सबसे ज्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए हैं, चाहे उनकी मजदूरी न देने के संबंध में हुआ हो और चाहे उनका उत्पीड़न हुआ हो। तो यह बड़ी दर्दनाक बातें हैं। इन सब परिस्थितियों को जो आज हमारे समाज में बीमारी की तरह व्याप्त है, एक तरफ तो, महोदय, इक्कीसवीं सदी का जो स्वप्न देखते हैं वहां यह सब बातें हमारी प्रगति में बाधक हैं, हमारी तरक्की में बाधक हैं। महोदय, यह सामाजिक समस्याएं हैं और इसके पीछे आर्थिक समस्याएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। इसमें हम सभी लोगों को अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर ईमानदारी से दलित वर्ग के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। महोदय, जो दलित वर्ग के लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, हमारे यहां गांवों में कहा जाता है कि आदमी अपना धर्म परिवर्तन तब तक नहीं करता जब तक कि वह मजबूर नहीं हो जाता। यह अंतिम औजार है। तो मैं समझती हूं कि इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई धर्म परिवर्तन करते हैं चाहे वह नव-बौद्धों के लिए पिछले दिनों दी गई सुविधाएं, चाहे आज के इस विधेयक द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि इसाई भाईयों को भी वह सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं इसको प्रबल समर्थक हूं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जातियों के साथ एक तो खिलवाड़ भी बंद होनी चाहिए। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास एक दलित से कराया और यही लोग, आज यहां नहीं हैं मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उनके पीछे बोलना पड़ रहा है, अच्छा होता कि वे यहां पर होते और इस बात को सुनते कि हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे मंदिर हैं और उन मंदिरों के समर्थक यही लोग हैं जहां आज भी मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है। चाहे राजस्थान का नाथद्वारा मंदिर हो, चाहे दक्षिण के मंदिर हों, वहां आज भी लिखा हुआ होता है। पिछले दिनों मुझे एक प्रसिद्ध मंदिर को रथ वैसे ही जाने का मौका मिला। तो मैंने वहां एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था कि यहां पर गैर हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है। इससे मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि आज के समय में भी जहां यह बोर्ड लगे हुए हैं वे हमारी सामाजिक सोच को क्या दरसाते हैं, समझ में नहीं आता।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा जो हिन्दू धर्म है, इसकी बुराइयों को सींचने वाले आज जो लोग धर्म के नाम पर और कोई सवर्ण के नाम पर राजनीति करता है और कोई दलित के नाम पर राजनीति करता है। लेकिन आर्थिक दशा सुधारने में कोई पार्टी ईमानदारी से नहीं आ रही है आ रही है तो सिर्फ कांग्रेस ही आ रही है। यह मैं निःसंकोच कह सकती हूं। इसमें कोई लाग-लपेट नहीं है। मैं पूरे आत्मविश्वास से यह कह सकती हूं।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस का प्रचार कर रही है आप।

श्रीमती सत्या बहिन : यह कांग्रेस का प्रचार नहीं बल्कि सत्यता है। मुझे दुःख है कि आप लोग ईमानदारी से प्लान और प्रोजेक्ट लेकर सामने नहीं आए। अगर आते तो इसमें कुछ मदद मिल सकती थी। महोदय, रोज अखबार भरे रहते हैं कि आज यहां अनुसूचित जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज वहां अनुसूचित जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले दिनों आरक्षण के नाम पर नौजवानों में बहुत असंतोष रहा, कहीं लोग जले, कहीं लोग सड़कों पर आए और आने के लिए आवाहन भी लोगों ने किया। यह बहुत खराब बात है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के अंदर और सरकार के बाहर बहुत से आरक्षित स्थान खाली पड़े हैं। मैंने पहले भी इसके आंकड़े दिए हैं।

मैं यहां अस्पतालों के बारे में जिक्र करना चाहती हूं। जहां एक ओर हमारे स्नातकोत्तर और बड़े-बड़े डिग्रीधारी रोज बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार कार्या-

लयों में रोजगार पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में 35 आरक्षित स्थान खाली पड़े हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 23 स्थान खाली पड़े हैं, सफदरजंग अस्पताल में 30 स्थान खाली पड़े हैं। एक तरफ बड़े-बड़े डिग्रीधारी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और दूसरी तरफ, ये आरक्षित स्थान खाली पड़े हैं। यही नहीं, इन जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरा जाता है। यह भी एक चिन्ता की बात है। कह दिया जाता है कि योग्य लोग मिलते नहीं हैं, क्या किया जाए। जब तक हमारी सरकार इन नौकरशाहों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी तब तक सरकार की घोषित नीतियां पूरी नहीं हो पाएंगी। अतः इन नीतियों के क्रियान्वयन में जो ये नौकरशाह लोग बाधा डालते हैं, इनको दंडित करने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं कि आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में 24 लोग सामान्य वर्ग से आए हैं, 11 लोग राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सामान्य वर्ग से आए हैं, 20 लोग जयपुर में और 5 लोग सामान्य वर्ग से इन आरक्षित स्थानों पर नियुक्त किए गए हैं। तो यह अव्यवस्था चल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह अव्यवस्था दूर होनी चाहिए और इमानदारी से जो आरक्षण हमारी सरकार ने घोषित किया है, उसको पूरा करना चाहिए। मुझे कतई संदेह नहीं कि हमारी कांग्रेस सरकार इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकन इसमें कुछ कड़ाई करनी पड़ेगी।

मान्यवर, पिछले दिनों यह हुआ था कि जब पिछड़े वर्गों का आरक्षण हुआ तो उच्चतम न्यायालय का यह आदेश आया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय तो हमारे संविधान के नीति-निदेशों के अनुसार चलता है। अगर आवश्यकता पड़े तो इस आरक्षण को और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण नाकाफी है इसकी संख्या में वृधि की जाए, इसका प्रतिशत और बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाए। तभी इन समस्याओं का हल हो सकता है, अन्यथा एक तरफ तो आरक्षण पूरा नहीं होता और दूसरी तरफ जगहें खाली पड़ी हुई हैं। एक तरफ यह कहते हैं कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं और इन पदों को भरने के लिए अनुभव वाले लोग नहीं होते तो अनुभव कैसे होगा अगर उनको नौकरी नहीं देंगे? तो उन लोगों को अनुभव में रिलेक्सेशन मिलना चाहिए। इन जातियों से जो नवबौद्ध हुए हैं, मैं तो यह कहूंगी कि जिन्होंने सिख धर्म ग्रहण किया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लालच से धर्म परिवर्तन किया है। मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने अत्याचार की मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन किया है। उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। साथ ही सरकार से मैं इस बात के लिए भी जोर देना चाहती हूं कि अब तक जो आरक्षण नहीं हुए हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपाइंटिंग अथारिटी हैं उन पर किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी तो निश्चित करनी ही पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे तो ये लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरी अनुरोध है कि आरक्षण को पूरा करने के लिए अनिवार्यता लागू की जाए। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए जो आरक्षण को पूरा करने में बाधा डाल रहे हैं और और साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उनको भी जरूर वे सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन को अनुभव में छूट दी जानी चाहिए, नौकरी के लिए रिलेक्सेशन देना चाहिए।

मैं यही बात कहते हुए सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इसमें कठोरता से कदम उठाए। मैं श्री नारायणस्वामी जी को धन्यवाद देती हूं कि जो उन्होंने इस सामाजिक मुद्दे पर सरकार का ध्यान

आकृष्ट किया । मैं धन्यवाद देती हूं महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री वी. नरायण स्वामी जी का संविधान में संशोधन करने का जो विधेयक है, मैं इसका पूरे मन से समर्थन करता हूं और यह बहुत आवश्यक संशोधन हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए और सरकार अगर इस विधेयक को स्वीकार नहीं करती है तो जल्दी ही सरकार को कोई विधेयक इस तरह का सदन में लाकर उसे पारित का लेना चाहिए क्योंकि जो नव-बौद्ध हुए, जब उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति से धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध हो गए तो उनको सरकार ने संशोधन के जरिए मान लिया तो क्यों न वही सुविधा उनको भी दी जाए जो अनुसूचित जाति और जनजातियों से ईसाई हुए । उन लोगों को सरकार ने अब तक यह सुविधा नहीं दी । तो इसके दो मापदंड नहीं हो सकते हैं । मापदंड तो एक ही रहना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस संविधान संशोधन को स्वीकार कर ले ।

मान्यवर, इस देश में वर्ण-व्यवस्था ने, जाति-व्यवस्था ने बहुत हानि पहुंचाई है । मनु महाराज का जो विधान था उसके चलते हुए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं इनको जानवर से भी हेय दृष्टि से देखा गया । उसी व्यवस्था के रहते हुए कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कुत्ते और बिल्ली से भी निम्न श्रेणी के हैं । मान्यवर कुत्ते और बिल्ली किसी बर्तन में पानी पी लेते थे तो उसको साफ करके उसमें लोग पानी पी लेते थे लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अगर किसी बर्तन में पानी पी लें तो समाज के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह बर्तन फेंक दिया जाता था । इसी तरह से मनु महाराज की सामाजिक व्यवस्था इस देश में लाना चाहते थे । सत्य बहिन जी की बात से मैं सहमत हूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर अत्याचार हुए, सामाजिक अत्याचार हुए उससे उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी । इसी कारण दुखित होकर, भारी मन से उन्होंने धर्म परिवर्त किया । महात्मा गांधी जी ने अगर इ ओर ध्यान नहीं दिया होता, इस अं प्रयास नहीं किया होता, महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति, जनजाति को हरिज भाई न कहा होता तो शायद जिस संख्य में धर्म परिवर्तन इस देश के अंदर हु उससे बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन इ देश के अंदर हो गये होते । मान्यव आज भी मैं कहने के लिए तैयार हूं भले ही बड़े शहरों में या शिक्षित लो के बीच में यह भेदभाव न रह गया लेकिन आज भी गांव की स्थिति कमोबे इसी तरह की है । स्वर्गीय बाबू जगजी राम इस देश में बड़े नेता थे और भा सरकार के बड़े जिम्मेदार पदों पर क कर चुके थे । जिस समय वे इस देश बड़े नेता थे और देश के प्रमुख विभ के मंत्री थे उस समय वाराणसी में ग हुए थे । वहां पर उन्होंने डा. सम्पूण नन्द की मूर्ति का अनावरण किया जब स्वर्गीय जगजीवन राम डा. सम्पूण नन्द की मूर्ति का अनावरण करके वाप लौटे तो समाज के उन्हीं लोगों ने लोग अनुसूचित जाति, जनजाति के लो को हेय की दृष्टि से देखते हैं, गंगाजल उस मूर्ति को धोया । उन्होंने कहा ड सम्पूर्णानन्द की मूर्ति अशुद्ध हो गई क्यों एक चमार ने उसका अनावरण कर दि विषाक्त वातावरण इस देश के अंदर र है शुरू से आज तक । मुझे यह कहने संकोच नहीं है कि इस देश की एक पा मनु महाराज के संविधान को फिर ल करना चाहती थी । उस पार्टी ने इस दे के संविधान को इन्कार कर दिया इस देश के किसी भी कानून को मा से इन्कार कर दिया । उनका प्रयाग एक सम्मेलन हुआ । उनके मार्गदश मंडल का एक सम्मेलन प्रयाग में हुआ उन्होंने कहा कि भारत का जो संविध है यह संविधान अप्रासंगिक हो गया है इस संविधान को समाप्त करके मनु म राज का संविधान इस देश में लागू हो चाहिए । लेकिन सौभाग्य है कि 4 राज्यों में जो चुनाव हुए यहां के मतदा ताओं ने उनकी भावनाओं को ठु दिया । वह उसी मनसूबे के आधार दिल्ली में आना चाहते थे और दिल्ली आकर इस संविधान को हटा कर

महाराज का संविधान इस देश के अंदर लागू करना चाहते थे । यह आरक्षण की जो व्यवस्था है कुछ लोगों को जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन सब को समान लाने की यह व्यवस्था है । गैर-बराबरी मिटाने की व्यवस्था है । गैर-बराबरी तब तक नहीं मिट सकती है जब तक समाज में जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोग हैं, हरिजन हैं, गिरिजन हैं, इन लोगों को समान अवसर न दिया जाए, विशेष अवसर इनको आगे बढ़ने के लिए न दिया जाए और तभी तक इस देश में विषमता कायम रहेगी । इस देश में लगभग 6 हजार जातियां हैं । 6 हजार जातियों में जो ज्यादा पिछड़ी हुई हैं ज्यादा गरीब हैं, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से उनको संरक्षण देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, गैर-बराबरी मिटाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है । लेकिन सचमुच संविधान में जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को आज तक सरकार ने सही रूप में लागू नहीं किया । अभी मंडल कमीशन के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ । सरकार ने उसको लागू नहीं किया । घोषणा तो कर दी लेकिन लागू नहीं किया । उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जिस सरकार ने लागू करने की घोषणा की उसके बाद क्या कोई आरक्षित जगह निकाली गई, क्या कोई नौकरियों के लिए वांट निकाला गया, कोई भर्ती की गई ? इसलिए मेरा कहना है कि सरकार ने इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया । सरकार ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति का कोटा था, मेरी जानकारी में साढ़े 15 परसेंट से अधिक अभी तक इन 40-42 वर्षों में केन्द्रीय नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति को स्थान नहीं दिया जबकि दोनों का मिलाकर साढ़े 22 परसेंट आरक्षण है । तो इसमें सरकार की नियत में कमी लगती है । सरकार की इच्छा शक्ति में कमी लगती है । सरकार को चाहिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है उसके अनुसार नौकरियों में जितने स्थान देने हैं उन स्थानों को भर दिया जाये ।

माननीय, एक निवेदन मैं इस संबंध में और कर देना चाहता हूं । 15 परसेंट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण है और साढ़े सात परसेंट जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण है और 27 परसेंट मंडल कमीशन वालों के लिए आरक्षण किया गया है । तीन प्रतिशत विकलांग लोगों के लिए और तीन प्रतिशत संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए है । इस प्रकार से यह साढ़े 55 प्रतिशत आरक्षण हो गया । इसके अलावा सरकार की मंशा है और उसकी मंशा की मैं सराहना करता हूं कि समाज में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10 प्रतिशत का आरक्षण देना चाहिए, जैसाकि प्रधान मंत्री जी बार-बार घोषणा करते हैं । इसकी मैं सराहना करता हूं । इस तरह से साढ़े 65 परसेंट आरक्षण हो जाएगा । लेकिन व्यवस्था यह है कि 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता है । ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि संविधान में संशोधन करे क्योंकि यह जो आरक्षण है यह स्थायी व्यवस्था नहीं है, यह अस्थायी व्यवस्था है । समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है और जब समाज की गैर-बराबरी मिट जाएगी, जब असमानता दूर हो जाएगी तब तो आरक्षण की व्यवस्था अपने आप ही समाप्त हो जाएगी या संविधान द्वारा समाप्त कर दी जाएगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और गम्भीरता से विचार करके संविधान में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ सब लोगों को मिल सके ।

अब दूसरी समस्या खड़ी होती है । साढ़े 22 परसेंट आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हैं । इसमें और लोग भी शामिल किये जा रहे हैं। माननीय श्री बी० नारायणसामी जी का जो संविधान संशोधन विधेयक है यह भी बहुत अच्छा है। इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष संसद ने कुछ जातियों

को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल कर लिया था और कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। इस तरह से ये जातियां भी शामिल होंगी। यह भी जरूरी है। लेकिन नौकरियों की संख्या उतनी ही रहेगी। आरक्षण पाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी इसलिए इस पर भी गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। जिन जातियों को आरक्षण देना जरुरी है उनको अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। लेकिन नौकरियों की उनके लिए क्या व्यवस्था की जाय, दूसरी सुविधायें उनके विकास के लिए क्या की जायें, समाज में गैर-बराबरी मिटाने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, इस भी सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

तीसरी चीज आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है और मंडल कमीशन को लागू करने की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन आप जानते हैं कि मंडल कमीशन जिन लोगों के लिए बनाया गया था, जिन लोगों के लाभ के लिए जिनके विकास और उत्थान के लिए बनाया गया था उनको शिक्षा दीक्षा काफी उम्र में बड़े हो जाने के बाद शुरु होती है। जब काफी उमर हो जाने के बाद वे पढ़ने के लिए जाते हैं तो नौकरी पाने की योग्यता जब प्राप्त करते हैं तो उस समय उनकी आयु सीमा बाधक हो जाती है, वे ओवरएज हो जाते हैं। इसलि मैं चाहता हू कि सरकार को कम से कम पिछड़े वर्गों के लिए जिनको आप मडल कमीशन का लाभ देने जा रहे हैं, जिनको मंडल कमीशन का लाभ देने की आपने घोषणा की है उनके लिए जो निर्धारित आयु सीमा है उस निर्धारित आयु सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट देने की कृपा करें। वरना यह 27 परसेंट का आरक्षण देने का लाभ उन लोगों को मिलने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री बी० नारायण सामी जी के इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इसको अवश्य स्वीकार ले। यह जन हित में होगा और समाज पिछड़े, कुचले और दबे हुए लोगों के हि के लिए होगा उन्होंने मजबूरीवश परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन के कारण उनकी सुविधाओं को जो स धान प्रदत्त सुविधायें हैं उन सुविधाओं उनको वंचित न किया जाए।

SHRI N. GIRI PRASAD (An Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I whole-heartedly support the stitution (Scheduled Castes) C (Amendment) Bill, moved by Narayanasamy. In fact, he dese congratulations from all the Mem because this Bill is highly neces in the present system of things. I of all, when this Constitution heduled Castes) Order was fra perhaps, I belive, they dit not to discriminate certain section of same social group on the basi religious attachment or affilia But somehow or the other it come into being. Only in the re Order, the Government have inc ed the Neo-Buddhists or the s Scheduled Caste people who opted Buddhism under the influence of Ambedkar or some social leade be Buddhists away from the Sched ed Castes. As far as that sec is concerned, how are they diffe from the Christian Dalits? Why the Government not give suffic consideration to this aspect, that to include the Dalit Christians in this Reservation Order? Perh the Government wants to think these people do not deserve rese tion or the same facilities becaus their religious affiliation. Our C stitution, as everybody knows, based upon secrularism. But, least as far as this aspect goes. am afraid, our Constitution has g non-secular. But, the Schedu Caste people who, because of th social being, special discriminati social oppression and social stigr were treated as a separate gro deserve special attntion from State. But why were the same ca gory of people, the same type

people because they opted for Christiany or some other religion, denied the same benefits? It is the discrimination of the highest order, and there is no justification to keep, this discrimination in our Constitutional Order.

Sir, as far as our society is concerned, we all come from the same villages and towns. Do we find any real difference either in the social set-up or social status or educational level or any other consideration? At least, as far as I know, there is no such difference at all between the Scheduled Castes and the Dalit Christians because in a village, in the same hamlet, these two types of people reside side by side. The other section, i.e. the non-Dalits, generally looks upon them as one social group though one section is of Scheduled Castes and the other Christian Dalits. The non-Scheduled Caste and the non-Dalit section does not consider them as two groups, but as belonging to the same social group. This is because they have the same status, on par with the Scheduled Castes.

Why should our Constitution make this sort of discrimination against this particular section? I cannot understand. Therefore, the ruling party should apply its mind even now though it is belated.

The Hindu society from which the Social group Called the Scheduled Castes emerged had been following a particular pattern from the very beginning. I do ont know why. Our friends mentioned about Manu Smriti It stratified the whole Hindu society into certain classes or castes. This cast system has income an iron-frame from which even now, in spite of many centurise having gone by, we do not find a way out. In spite of our efforts in the post-independence period, inspite of the best legislations we are making on this aspect, we have no been able to make any major breakthrough as far as the system goes. In fact, many people in India are now trying to destroy masjids and build mandirs in their places. Unfortunately that should not have been the agenda. If at all there are any social reformers or any people who want to uplift the Hindu religion from the social-stigma, they should start reforming the Hindu society; particularly, they should take step to eliminate the discrimminatory caste system. If they can start this type of movement, they would be serving the society better. Instead of doing this, not only they are prestrving this caste order, this caste division, they have also started perpetuating the religious divisions. They are trying to divide people on religious lines. They are trying to divide them into two antagonistic groups. Unfortnnately, this has become the agenda.

Therefore, Sir, the Parliament, the whole society, must feel concerned over the present state of affairs in our society. It is the bounden duty of any social thinker or any progressive thinker or even a human being to ponder over this and see how this can be set right. All human beings are one. That should be our motto.

Even in the United States of America the race division between the blacks and whites is being sought to be eliminated by many gronps though they cannot eliminate or remove the colour difference. But as far as the society is concerned, this division, this discrimination, can be removed. Even now, in that society, in terms of employment opportunities, in terms of job opportunities, in terms of social status, the blacks are being looked down by the other section as untouchables, more or less, as in our country. But people are not like that. Everywhere, the social forces are coming up.

We are seeing now what is hap-

pening in South Africa. They blacks who constitute 70 per cent of the society were denied thir voting right. They have now got this right and very soon they would have their own Government consisting of blacks, without, of course, discriminating ag' ainst the other section, i.e. the whites.

When the world is moving in the right direction, when many societies are being canged or getting changed, when many societies are moving towards a better order, our society is still kept divided into various religions and other groups, clashing with each other and maintaiing this social division, this caste division. That is why even in the recent elections also the social groups have come up in a big way, whether one likes or not, becanse of this prepetual discrimination, suppression by the upper castes or caste Hindus, at least in the Hindu society. The other groups have united and showed their might. Now a new thinking has started in many sections of our people. When this Mandal issue came, many people thought it was not necessary, the merit should have the key place in the reservation. That may be the ideal way, but society does not stand on any ideal footing, it stands on the discrimination of the highest order. These days we are thinking of social rights, human rights. What are the human rights we are giving to the dalits, whether Christian dalits or other dalits? What are the human rights we are giving to other deprived sections who are socially and educationaly backward? Are we giving the same social status? But now they are coming up. Though their economic exploitation is not removed, though their social standing is not improved very much, they are coming up in a big way, at least on a political plane. The trend that is visiable to me, that has come up in these elections, seems to be that unless they come to power, unless they occupy the seat of power, their po tion, their social position or econon status, will not be improved. I less they are in a seat of power fr where they can pass legislations, th cannot improve their lot, Perhaps th must be the underlying thought wh we see the election results. So, t society or the Parliament or any pc tical party for that matter, can ignore his fact for any longer in It is high time for us to take ev step to remove these social divisic like caste and other things. But spite of our best legislations, e giving definite percentage of rese tions to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, their position not improved very much because majority of the people who are the power either in the Parliam or Assemblies or the Governments in the bureaucracy, they do not plement the same orders to the l cal extent. Whenever there is opportunity, they try to discrimir them in every possible manner. T is why there are many posts be kept vacant for long long years spite of the constitutional provisi Perhaps when uor Constitution kers were formulating certain nions, they were thinking that this by this type of reservation haps in 10 to 20 years all things improve, the society will get out this social stratification, and the ciety will be one without much ploitation. Perhaps that was t thinking, but our social order, caste system does not permit things to improve. I know, the w House, the society at large, e caste Hindus, highly enlighte people belonging to upper ca praise Dr. Ambedkar as the fathe the Indian Constitution, but the s people do not show the same resp same feelings towards these cas So, they can respect an indivi but they can discrimiatne, they hate the caste from which he arose, it is not the caste that is the real b on which our society schould be b Mainly if our secularism has to

vive, it should survive irrespect of caste and religion, giving equal scope equal opportunity to all the people. Even to achieve that or to give equal opportunities, we have to take care of the weaker sections. How can you bring abont equality by ignoring the plight of the weaker sections or socially deprived sections, at least social equality?

Now only one type of reservation is working well because there is no other go, that is, in terms of filling seats in Parliament and Assemblies, political parties are bound to give a certain reservation or reserved seats for the same people.. Though we treat them as human beings, in emploment to some extent and in industry to every extent, in all other respects they are treated as second class or third class citizens.

Society cannot change in a day. It all depends upon the political parties and upon Parliament. So, in this particular respect the Christian Dalits are not different from any other Dalits as far as the social system is concerned. So it is high time that the Government, by accepting this amendment or by bringing about a legislation, has to remove this inequality between the same groups, Thoush they follow different religious principles or different religions, there is no need to make such discrimination between these two sections. It is high time the Government accepts this legislation and treats the Dalits who belong to the same group, irrespective of their religious affiliations, as equals before the law. And I think it will serve our purpose.

I once again thank Mr. Narayanasamy for bringing this Bill before us. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Mentary Palmanabhem Not here. Shri T. Venkatraman.

*SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I whole-heartedly support the Private Member Bill brought in by Shri Narayanasamy that seeks to treat the Dalit Christians on par with other Dalits in Hindu fold. The Rajya Sabha records would reveal the kind of pain he has taken to bring in this Bill for the caust of Scheduled Caste Christians.

It is strange and surprising that the Centre which has given the benefits of reservation to neo-Buddhists should deny similar concessions to the Scheduled Caste Christians. I wonder how by changing religion a person forfeits his right to reservation. There are many reasons for their conversion to other religions. The Schedhled Caste peple left Hinduism to embrace Christianity because of ill-treatment meted out to them by Caste Hindus. Some have embraced even Islam and Sikhism. Because ours is a caste-ridden society, the stigma of caste continues even after conversion. When I say this, I recall an incident when the British Viceroy, Lord mountbaten was permitted inside Lord Jaggannath shrine but the father of our Constitntion Dr. Ambedkar was refused entry because of the stigma bi caste.

Sir, I can cite a number of caste cases show how deep rooted is caste in our society. These days we find matrimonial advertisements asking for Roman Catholic Iyer boy for a girl of same caste and Catholic Reddiyar groom for a bride of similar caste and so on. This is the situation in India even after converting to other religions. That is why Hon'ble Member Shri Narayanasamy has taken pains to bring this Bill for discnssion Since this Bill has the unanimous support of the House, the Government should bring an amending Bill to extend the benefits of reservation to the Dalit Christians.

---

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

Even various judgements of the Court reveal the necessity of giving reservation even after conversion to other religions. In 1952, Justice Venkatrama Iyer of Madras High Court observed in a judgement that conversion to other religions does not take away the social stigmae attached to the caste. In 1967, the Andhra Pradesh High Court also made similar observations. Again in 1984 while delivering a jugement the Supreme Court observed.

> "The mark of caste does not seem to really disappear even after some generations after conversion. In Andhra Pradesh and in Tamil Nadu, there are several thousands of Christian families whose forefathers became Christians and who, though they profess the Christian religion, nonetheless observe the practice of caste."

It is a fact that irrespective of conversion to Christianity, Islam or Sikhism the Scheduled Caste person continues to live as Scheduled Caste. Even in 1992, in the latest Mandal case, is a nine-judge Bench of Supreme Court in a majority judgement observed,

> "Change of religion does not change caste and the disabilities of the Scheduled Castes converted to Christianity continue after conversion on par with other Scheduled Caste in other religions."

This is what the Supreme Court Bench dealing with the case arising out of the implementation of Mandal Commission Report said in a majority judgement of 8 to 9. Even a court on Pondicheryr has held similar views in a case involving conversion of religion by Scheduled Caste.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the Father of the Nation Mahatma Gandhi wrote in the Harijan on 26-12-1936.

> "Whether the *Harijan* is nominally a Christion, Muslim or Hindu and now Sikh, he is still a Harijan. He cannot change his spots inherited from Hinduism so called. I may change his garb and call himself a Catholic Harijan, or a Muslim Harijan or Neo-Muslim or Neo Sikh. His untouchability will haunt him during his life-time."

Mahatma Gandhi mirrored t plight of the Scheduled Caste peo in 1936 itself. Today we are in 19 and the situation is much the sam Therefore, it is our bounden duty see what best we can do for the unfortunate people. We have amen ed Constitution umpteen number times and this is a very importa amendment that should be done the earliest. So, I appeal to t Centre to bring an amendment to t Constitution treating Dalit Crhistia on par with their Hindu brethren. support this Bill wnole heartedly c behalf of D.M.K. with these wor I Conclude.

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विद्वान साथी श्री नारायणसामी ने जो यह प्राइवेट बिल इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, मै इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बहुत स्पष्ट है कि हमारे भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी है । वैसे तो गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है—

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विदयकर्तारमव्ययम् ।।"

अर्थात् मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं । किन्तु, जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता गया, हमने वर्ण व्यवस्था को गुण और कर्म पर आधारित न रखकर जन्म पर आधारित कर दिया । अब आज समाज इस वर्ण-व्यवस्था से, जाति-व्यवस्था से इतना अधिक ग्रसित हो गया है कि, बहुत सही कहा जाता है, भारतीय समाज से और सब कुछ तो जा सकता है, कि न जाति ऐसी बात है जो कभी नहीं जाती

जाति कभी नहीं जाती, चाहे धर्म परिवर्तित हो जाए, समाज परिवर्तित हो जाए, जाति कभी परिवर्तित नहीं होती है और यही कारण है कि हम में से, हिन्दू धर्म का पालन करने वाले लोगों में से, जब बहुत से हमारे भाई दूसरे धर्म की ओर आकर्षित हुए, उन्होंने फैसला किया, उनके पूर्वजों ने फैसला किया और दूसरे धर्म का अनुसरण करने लगे तो उसके बाद भी जाति-व्यवस्था ने उनको नहीं छोड़ा । इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से अलग-अलग स्पर पर विचार हुआ है । हमारा जो सबसे ऊंचा न्यायालय है--सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसने भी इस प्रश्न पर गहनता से विचार किया और जो प्रसिद्ध केस है मंडल कमीशन का, उस में फैसला देते हुए 9 में से 8 न्यायाधीशों ने इस पक्ष में अपना मत दिया है कि धर्म बदल जाता है किन्तु जाति व्यक्ति से जुड़ी रहती है । मंडल कमीशन के संबंध में जो फैसला है, उसमें से मैं कुछबिन्दु यहां उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि इस फैसले में बहुत बारीकी से, इस बिन्दु को हर न्यायाधीश ने अलग-अलग विचार किया है, उसमें उन्होंने यह तय किया कर दिवा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया है कि यदि व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तित भी कर लिया है तो भी उसके साथ वे सारी कुरीतियां, उसके साथ वे सारा दुर्व्यवहार, उसके साथ वह सारा व्यवहार जो उसकी पुरानी जाति से जुड़े हुए थे वह बने रहते हैं। मैं आपकी अनुमति से मंडल कमीशन के फैसले में दोबतीन प्रमुख जजों ने, (वैसे तो 8 न्यायाधीशों ने इस पर अपना मत व्यक्त किया है) जो कहा है कि व्यक्ति का धर्म परिवर्तित होने के बाद भी उसके साथ वे सारी चीजें लगी रहती हैं जो उसकी पहली जाति से लगी थी उद्धृत कर रहा हूं । इस फैसले के पृष्ठ 271 में यह कहा गया है :—

"To deny them, that is, the Scheduled Castes, the Constitutional protection of reservation solely by reason of change of faith of religion is to endanger the very con' cept of secularism."

इसी तरह से पृष्ठ 450 में इसी फैसले में कहा गया है :—

"So sadly and oppressively deep-rooted is the caste in our country, that it has cut across even the barriers of religion."

इसी फैसले में फिर आगे पृष्ठ 478 में कहा गया है :—

"Almost all followers of the non-Hindu religion except those Zoroastrianism or converts from Hindu religio nand in the new religion they carried with them their caste as well. It is unnatural to expect that the social prejudices and biases and the notions and the feelings of superiority and inferiority nurtured for centuries altogether would disappear by a mere change of religion."

इसी तरह से इन न्यायाधीशों ने इस प्रसिद्ध फैसले में यह निर्णय दिया है कि व्यक्ति का धर्म अगर मसीही धर्म हो जाता है, ईसाई धर्म हो जाता है उसके बाद भी, यदि उसने अनुसूचित जाति से अपना धर्म परिवर्तित किया है, तो उसके साथ वे सारी बातें बनी रहती हैं जो उस धार्मिक व्यवस्था में, उस धर्म-व्यवस्था में, जब वह अनुसूचित जाति का सदस्य था, उसके साथ लगी हुई थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, न केवल इस फैसले ने कहा है, इस तरह के अनेकानेक अन्य फैसले भी हुए हैं। मुझे अभी हाल ही में बताया गया कि पिछले सप्ताह ही मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया है और यह कहा है कि यदि व्यक्ति मसीही धर्म, ईसाई धर्म अपना लेता है तो भी जिस कास्ट से, अनुसूचित जाति से वह अपना धर्म परिवर्तन करता है वही परिस्थितियां फिर भी उस पर बनी रहती है। ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एआई आर- 1954, पेज 236 में उस प्रकरण में दिया था, जहां जस्टिस बोस ने यह व्यवस्था दी थी कि धर्म का परिवर्तन होने से जाति परिवर्तन नहीं होती। मद्रास हाई कोर्ट

ने ए० आई० आर० 1952 पृष्ठ-474 में, आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसी प्रकार 1967 में 31 ई. फल. ई. पृष्ठ-211 में, सुप्रीम कोर्ट ने ए० आई० आर० 1975 पृष्ठ-421 में, सुप्रीम कोर्ट ने ए. आई. आर. 1976 पृष्ठ-1904 में, सुप्रीम कोर्ट ने ही ए. आई. आर. 1984 पृष्ठ-411 में इन्हीं व्यवस्थाओं को दोहराया है और बार-बार इस राष्ट्र के सबसे बड़े न्यायालय ने यह कहा है कि धर्म परिवर्तन हो जाने से जाति परिवर्तित नहीं होती, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो कभी भी नहीं जाती और व्यक्ति के साथ सदैव लगी रहती है।

मैं इन व्यवस्थाओं के बाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन बहुत सी रिपोर्टों की तरफ ले ले जाना चाहता हूं जिन रिपोर्टों में इस विषय पर गहनता से अध्ययन हुआ, विचार हुआ और निष्कर्ष निकाले गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की हम सब चर्चा करते हैं। उस रिपोर्ट से मैं कुछ वाक्य पढ़ना चाहूंगा। उस रिपोर्ट में पैरा-10.36 में लिखा है कि :

"Whereas the local priests happily welcomed Mountbatten to enter the temple, they refused permission to Dr. B. R. Ambedkar."

यह संदर्भ तब का है जब जगन्नाथपुरी मन्दिर में डा. अम्बेडकर लार्ड माउंटबेटन के साथ गए थे। मंडल कमीसन ने इस दृष्टान्त को उद्धृत करके यह बताया है कि हमारे देश में व्यक्ति आर्थिक रूप से चाहे कितना ऊंचा बढ़ जाए, राजनैतिक रूप से चाहे कितना ऊंचा बढ़ जाए, फिर भी समाज के अंदर की जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है वह इस तरह से उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन, उसके प्रति भेदभाव करती ही रहती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के साथ यह भेदभाव हुआ, इसे मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। मंडल कमीशन ने ही अपनी रिपोर्ट के पैरा-12.11 में लिखा कि :—

"There is no doubt that soc and educational backwardn among non-Hindu communities more or less of the same order among the Hindu community."

आगे उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि :—

"First, caste system is a gr conditioner of consciousness a cultural mode. Consequently, ev after conversion, the ex-Hindus c ried with them their deeply grained ideas of social hierarchy a stratification."

मंडल कमीशन की रिपोर्ट पैरा-12.74 में लिखा हुआ है कि :—

"Similar is the situation am Indian Christians. Christians Kerala are divided into various nominations on the basis of beli and rituals and into various eth groups on the basis of their ca background."

इसी तरह से हमारे राष्ट्रपि महात्मा गांधी ने "हरिजन" पत्र में, समाचार पत्र वे अपने तरफ से निकाल थे, उसमें दिनांक 26-12-1936 लिखा था :—

"Whether the Harijan is nom ally a Christian, Muslim or Hi and now a Sikh, he is still a Ha jan. He cannot change his spots herited from Hinduism—so-call He may change his garb and himself a Catholic Harijan or Catholic Muslim Harijan or M Muslim or neo-Sikh, his untou ability will haunt him during lifetime."

हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े अनुसूचि जाति के नेता बाबू जगजीवन रामजी जब उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में दिनां 10-2-1979 को एक प्रेस

भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने कहा कहा था कि :—

"Strangely enough, I find untouchability among Christians also and also in a section of Sikhs."

काका कालेरकर साहब ने जो पहला कमीशन बैकवार्ड कम्युनिटीज् के बारे में बना, उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ 50-51 में कहा गया है कि :—

"The Harijan Christians in some regions were kept outside the Church for a long time. Then they were allowed to sit in a separate wing. Even today, the Christians belonging to untouchability castes are forced to have separate cemeteries in parts of India. Even the dead must observe caste and untouchability."इसी तरह से आन्ध्र प्रदेश के बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट में पृष्ठ 203 पर, कुम्बापिलै कमीशन की रिपोर्ट में जो केरल सरकार ने इसी विषय पर कमीशन बनाया था, उसके पैरा 25 में, इलिया पेरूमल कमीशन की रिपोर्ट में पैरा 32 में, संथानम कमीशन की रिपोर्ट के दूसरे वौल्यूम में पृष्ठ 21 पर चिदंबरम कमीशन की रिपोर्ट के पैरा 1(1) और 3(2) में इन सब बातों का विस्तार से विश्लेषण करके उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि अगर धर्म बदलता है तो जाति नहीं बदलती । उसके साथ जो दुर्व्यवहार, भेदभाव जाति व्यवस्था में लगा रहता है, वह आगे भी चलता रहता है । गोविन्द मेनन रिपोर्ट जो कि कमीशन ने वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी, उसमें भी इसी बात को उद्धृत किया गया है ।

क. इन रिपोर्टों के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों के फैसलों

आधार पर मैं सबसे और आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात हमारे विद्वान साथी श्री नारायण स्वामी जी ने कही है, वह बहुत ही सही बात है। यह संशोधन हमें अवश्य लाना चाहिए। महोदय, इन रिपोर्टों और इन फैसलों के बाद कुछ बातें जो दूसरी तरफ से कही जा रही हैं कि क्या ये लाभ ऐसे ईसाइयों को जो हरिजन थे और अनुसूचित जाति के थे और अब ईसाई धर्म में आ गए हैं, उन्हें नहीं दिऐ जाने चाहिए, इस बारे में जो शक और संदेह प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इस बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा ।

पहली बात यह कही जाती है कि बौद्ध धर्म और सिक्ख धर्म को यह सुविधा इसलिए दी गई क्योंकि बौद्ध धर्म और सिक्ख धर्म भारतीय मूल धर्म हैं किन्तु ईसाई धर्म, मसीही धर्म, भारतीय मूल का धर्म नहीं है । मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि ईसाई धर्म भी भारत में सबसे पहले आने वाले धर्मों में से था । जब ईसाई धर्म बना, उसके तत्काल बाद, ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस क्राईस्ट का एक शिष्य सेंट थामस उनके क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन के बाद, उनको क्रास पर चढ़ाए जाने के कुछ ही समय बाद केरल में आये और तब से यह धर्म भारत में रहा है और भारत भूमि में पनपा है । इसलिए यह कहना कि यह धर्म भारत में पनपा हुआ धर्म नहीं है, यह गलत है । यूरोप में और पश्चिमी देशों में यह धर्म बाद में गया वस्तुतः भारत में यह धर्म सबसे पहले आया था ।

इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि ईसाई धर्म में कोई जातियां नहीं हैं, इसलिए ईसाई धर्म के मानने वालों को जाति के आधार पर यह सुविधा नहीं दी जानी चाहिए । मैं जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं, हमारे राष्ट्र में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में, मनु की व्यवस्था में धर्म चाहे परिवर्तन कर लिया जाए किंतु जाति परिवर्तित नहीं होती है । मैंने बहुत से ऐसे ईसाई परिवार देखे हैं जिनमें अगर एक व्यक्ति ने धर्म-परिवर्तन कर लिया है और दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है, तो भी दोनों में कोई अंतर नहीं है । दोनों एक ही मकान में रह रहे हैं । दोनों के साथ पूरे समाज द्वारा, पूरी सामाजिक व्यवस्था में वैसा ही भेद-

भाव हो रहा है जैसा पहले होता आया था । ऐसा मैंने दक्षिण भारत के बहुत से गांवों में देखा है, मद्रास में । इसलिए यह कहना कि धर्म परिवर्तन होने के बाद भेदभाव खत्म हो जाता है, जाति-व्यवस्था खत्म हो जाती है, यह बिल्कुल गलत बात है । इसीलिए मैं विनम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 25 के अंतर्गत... तथा अनुच्छेद 330 से 340 के अंतर्गत उनकी मंशा यह थी, उनका उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए । वर्षों से, सैकड़ों सालों से जो भेदभाव कुछ लोगों के साथ केवल इसलिए किया जा रहा है कि वे अनुसूचित जातियों के हैं, वह गलत वर्ण-व्यवस्था के कारण ही किया जा रहा है इसीलिए हमारे समाज में शोषण है गिरावट हो रही है ।

श्रीमन, जिस तरह से कृष्ण ने गीता में कहा है —

"चातुर्वर्ण्यं मयासृष्टः, गुण कर्म विभागशः" अर्थात् मात्र गुण और कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण कोई क्षत्री, कोई वैश्य और कोई शूद्र हो, जन्म के आधार पर नहीं । उस व्यवस्था को छोड़कर, गीता के उस उपदेश को त्यागकर जो इस समाज ने जन्म के आधार पर, वर्ण व्यवस्था लागू की है, उससे हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका जो ईसाई धर्म को अपना चुका है, वह अब भी वैसे ही भेदभाव का शिकार है ।

मेरे भाई और हमारी साथी श्री वी. नारायणस्वामी ने इसीलिए यह सब सोचकर यह संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि शासन भी केवल एक प्राइवेट मैंबर बिल की तरह उसको न माने । यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही है । सदन में और दोनों सदनों के लगभग 250 संसद सदस्यों ने अपने हस्ताक्षरों से इस मांग का समर्थन किया है । बहुत दिनों से इस मांग को लेकर यह वर्ग शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहा है । हमें उस वर्ग की इस मांग को मानना चाहिए । उनके साथ जो घोर भेदभाव हमारे समाज में हो रहा है उसको तभी मिटाया जा सकता है, उनके साथ तभी न्याय किया जा सकता है जब उनका जो यह बुनियादी अधिकार है, उनको जो हक बनता है उनको दें । इन तथ्यों के साथ, इन बातों के साथ और इन तर्कों के साथ मैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रख सकूं ।

*SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very much thankful to my esteemed friend Mr. V. Narayansamy for bringing The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Bill, 1991 for discussion in this august house. This Bill has vital socio-economic dimension. At the outset I would join my other friends in urging upon the government to accept this private member's Bill in its totality or with some minor modifications.

Mr. Vice Chairman Sir, this Constitution amendment Bill proposes to amend the relevant portion of our Constitution to provide job reservation to S.C. and S.T. people who have converted to Christianity. This is very simple Bill, which contemplates to provide some facilities to a section of the poor S.C. and S.T. people who are deprived of these benefits just because they have mostly due to economic reasons. Unchanged their means of worship fortunatey, the government does not take into consideration the reasons of the conversion of the Hindu S.C. and S.T. people to Christianity. The single reason, for the conversion, to my mind is powerty and destitution.

Mr. Vice-Chairman, Sir. we have reserved 15 per cent and 7 per cent of the government jobs for S.C. and

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

S.T. people respectively. But we have failed to take any concrete and meaningful steps to provide the best type of education to them. There is still large-scale illiteracy among them. There is room to do a lot in uplifting the economic, and educational conditions of the S.C. and S.T. people. So, I wonder how the same S.C. and S.T. people who have just changed their way of worship could be deprieved of the benefits enjoyed by S.C. and S.T. people. They are our brothers and sisters. The economic, education, health condi' tions have neither changed nor improved just with the change of their religion. In Hinduism different people worship different gods like Krishna, Shiva, Durga yet they continue to get the opportunities provided by the government. I don't find any logic in depriving the S.C. and S.T. people of the benefits of job'reservation who have converted to Christianity. We should analyse the reality of the Indian social life of people, Particularly the lives of the S.C. and S.T. people and take measures to eleminate the various socio-economic evils prevalent in the society.

Mr. Vice-Chairman, Sir, at present the government has reserved 15 per cent of jobs for S.T. 7 per cent for S.T. 27 per cent for O.B.C., 3 per cent for handicap and another 3 per cent for ex-servicemen and freedom fighters. It comes to a reservation of 55 per cent of total jobs. But according to the verdict of the Supreme Court more than 50 per cent of the total jobs could not be reserved. So, now there is the necessity to amend the Constitution. In my opinion the forthcoming amendment of the constitution should also take care of the interest of the Christians who conve..)d from S.C. ad S.T. communities. Now we observe the reverse trend of Christians again converting back to Hindus. Mr. Vice-Chairman, Sir, it will not be out of place to mention the problem of reservation in Tamil Nadu. The Supreme Court Verdict prohibits the Tamil Nadu government from providing more than 50 per cent of job-reservation to the people of the State, which they have been enjoying for the last so many years. In any case we have to amend the Constitution to restore the facility to the people of Tamil Nadu. In my opinion a single amendment could take care or not noly S.C. and S.T. people converted to Christianity but also the Christians who again converted back to Hinduism.

I thank you Mr. Vice-Chairman for giving me the opportunity to speech on the Bill.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I support my friend for moving this resolution, though his party and the Government have failed to implement this object which has been under agitation for many years. Why is the Government of India refusing to give statutory benefit to the Scheduled Caste—convert people? There is no answer. The Congress peopIt have always stood for the Scheduled Caste people, Harijan people. The Congress Ministry has always pleaded for the Scheduled Caste people. But why are the Minister not coming forward to pass this legislation? This is a question which has to be answered. Tht Cabinet Minister supports the Scheduled Caste people. The State Minister belongs to the backward class. He understands the difficulties of the Scheduled Caste people. But the Government is reluctant to implement their decision. Are they afraid of somebody? Who are they? Why are they afraid of those people. There is only one argument against this reservation to the Scheduled Caste-convert people, i.e. the number of beneficiaries will increase. That is the only objection which was raised. It is true that during the 4-00P. British regime, the Christian missionaries started a number of educational instintions

for the Scheduled Caste converts. But now they are not getting any such benefit and still they are treated as socially and educationally backward sections of the society. As soon as the Dravidian party came to power in Tamil Nadu, this question was taken up with the Government of India. I do agree that regarding concessions to the Scheduled Castes and the Backward Classes, the Congress party and the other political parties in Tamil Nadu stood together on this issue. But as soon as we came to power, we wrote a letter to the Government of India. The Minister can go through the files. We argued that the Scheduled Caste converts must be treatld on pae with ofer Scheduled Caste people. If we go to the villages of Tamil Nadu—the hon. Minister comes from a village, a backward area—you can see where the Harijans who converted to Christianity live. They are still discriminated against. If there is a social objective, why is the Congress party refusing to accept it? I myself pleaded with the Central Government as the then Minister and requested them to support the Government of Tamil Nadu and bring about a legislation to this effect. But the Congress party did not accept our demand. Our Government then passed an order to the effect that the Scheduled Caste converts would be treated as belonging to the Backward Classes. This was within our powers and we did it. But the Government of India did not oblige us. This is the difficulty with the Congress party. They speak about something but they are afraid of implementing it. Mr. Narayanasamy belongs to the Congress party. He moves an unofficial resolution, but he cannot move his Government to implement it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sorry for interfering. But I would like to inform the Member that I am persuading the Mnister, I am asking my Government to implement it in the larger Iterest of the poor sectios of the society.

SHRI S. MADHAVAN: But your persuasion does not have any effect. Even I had persuaded them when I was the Law Minister. I preaded with the Government of India. But it did not hape any effect and tnat is my grievance ... (*Interruption*) ... My hon. friend will agree with me that it was the MGR Government which raised the percentage of reservations. This point must also be considered by the Minister. Now, the court is fighting with us. The Government of India wants some excuse and hence it is silent. The Government of India has not taken any step to put forward the views they believe in before the Supreme Court jndges. The judges have passed an order saying that no more 50 per cent resedvation will be allowed. Do we have a provision in the Constitution? Does the Constitution say that only 50 per cent reservatfon should be allowed? These are the views of a certain judge. They have expressed these views because of the failure of the Congress party. The Cabinet Minister assures us that he will take up this point. But the Government has no moved their advocate. We had been allowing 69 per cent reservation for the past so many year. But because of the Supreme Court judgement we had to stop it. In fact, a contempt peiffion is pending against my Gov' ernment. This is because of the failure of the Congress Government. Why dont they take it up? The Minister must rise and say whether he is for 50 per cent or for 60 per cent If he says 'only 50 er cent', he will be thrown out of his own constituency because his panty itself supports us. The Congress Party supports our demad in the Tamil Nadu Assembly. This is an opportunity for the Government to join hands witn us. All the political parties support us on this point. The second point is about the Scheduled Caste Hindus who have converted to other religions. They must be given the beenfits accruing to the original Scheduled Castes. The

Minister can give an assurance this thing without consulting the legal experts. There are two things; one to, Consitutional reservation and another is social benefits. You can pass an order, an executive order, conferring social benefits on them. You are giving a lot of benefits to the Harijans. You give loans to the Harijans. People. You give houses to the Harijans. No law prevents you from conferring these benefits on the converted Scheduled Castes also. Only for providing reservation, you have to bring about Constitutional changes. That is why Mr. Narayanasamy has brought forward a Bill for amending the Constitution to this effect. Another point is regarding 69 per cent reservation in Tamil Nadu. The Government of India has not opened its mouth regarding this. What is their policy on this? The Government of Tamil Nadu has written a number of letters to the Government of India because the State Government can' not give reservation rights. Now, my Government has decided to bring about a State legislation for continuing with the present reservation policy, that is, 69 per cent reservation—18 per cent for the Scheduled Castes and the balance for the Backward Classes—which the Supreme Court says, 'No'. But my Government has stood up with the support of all the political parties. The Tamil Nadu Government is going to pass a legislation reserving 69 per cent for the Scheduled Castes and Backward Classes. There are fundamentalists whom you must fight. We are prepared to cooperate. All the parties will support you. But the Congress is not opening its mouth because somebody is pulling it from behind. Who are they? They are the fundamentalists. They go to Court to question our legislation. You will need some time to tackle it. But during this period, the Government of India must wake up and take a policy decision saying, "Yes, we are going to bring a Constitutional amendment giving reservation to the people according to their population." Supposing the Government of India says that the Scheduled Castes and the Backward Classes do not constitute more than 69 per cent in Tamil Nadu, we will accept it. But, the State Governments must be given power to make reservations according to the proportion of population. If the Government of India, as a whole, is not able to stand up against the fundamentalists, I will give one suggestion, an escape route for the Central Government, that is, the Congress people. You amend the Consttiution giving power to the States Governments to make reservations for the Scheduled Castes, Scheduled Caste converts and Backward Classes according to their population in their respective States. Nobody can object to it. What is the reply of the Minister to this specific question? He is sitting here. He is willing to say, 'Yes but he is not able to say that...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): I Will say it at the appropriate time.

SHRI S. MADHAVAN: When is it? Is it before elections? (*Interruptions*)

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: He is waiting for an auspicious time... (*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: When he replies, he will give an assurance ... (*Interruptions*)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He is unable to express what he feels.

SHRI K. V. THANGKA BALU: I know how to express it. Don't worry.

SHRI S. MADHAVAN: That is why I am pressing for it. Next week, the Tamil Nadu Government is bringing a legislation. At least, before that, you must express your views on it. If the Government of India opposes it, then the question will be thrown open to the Supreme Court. That is why

I am pleading with the Minister, who is all for us, that the Congress Party, which is always for the Scheduled Castes, should think about these aspects: (1) Giving social benefits not relating to reservation, immediately; you can do it by an executive order. Number 2: The motion moved by Shri V. Narayanasamy must be accepted. Number 3: In regard to 69 per cent reservation, the Government of India should indicate its view and bring forward an appropriate legislation to supersede the Supreme Court judgement.

Thank you, Sir.

श्रीमती उर्मिला चिमन भाई पटेल (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विषय के बारे में अपनी बात शुरू करूं, इसके पहले अभी जो माननीय सदस्य ने बताया कि कांग्रेस सरकार अस्पृश्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सुविधायें देने में हिचकिचा रही है, इस का मैं कड़ा विरोध करती हूं। यह उनकी गलत मान्यता है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ दिया है, यह किसी पार्टी ने देश में अस्पृश्यों को नहीं दिया है। शुरू से ही अगर शुरूआत करें तो अस्पृश्यता निवारण का प्रोग्राम जो गांधी बापू ने दिया था, वह कांग्रेस का ही प्रोग्राम था। आजादी के बाद संविधान में अस्पृश्यता निवारण का जो सुझाव दिया गया, वह कांग्रेस का ही काम था। बाद में जो अस्पृश्यता निवारण का कानून बना, यह भी कांग्रेस का काम था। जो रिजर्वेशन दिये गये, यह भी कांग्रेस की काम गिरी थी और जो कोई भी योजना उनके लिये विकास के लिये रखी गई है, यह यह कामगिरी भी कांग्रेस की है। माननीय सदस्य कुछ कनफ्यूजन में आ गये हैं क्योंकि जो अस्पृश्यों के लिये रिजर्वेशन है, अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन है और जो मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित रिजर्वेशन है, उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर के खिचड़ी बना दिया है। यह अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। अस्पृश्यों के लिये अलग है, अनुसूचित जातियों के लिये अलग है, अनुसूचित जनजातियों के लिये अलग है, ट्राइबल्ज के लिये जो रिजर्वेशन है, वह भी अलग है और मंडल आयोग ने जो अन्य पिछड़ी जातियों के लिये रिजर्वेशन की है, वह भी रिजर्वेशन अलग है। सब मिला कर के तमिलनाडु सरकार 69 प्रतिशत का रिजर्वेशन इन लोगों को दे रही है। रिजर्वेशन सिर्फ अनुसूचित जातियों का नहीं है। यह इससे भी कनफ्यूजन हो जाता है : लेकिन यह बात आप यहां छोड़ दीजिये। अब मैं अपने मुद्दे पर आ रही हूं। नारायणसामी जी ने जो विधेयक यहां पर रखा है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं। इसके बारे में मुझे एक और सुझाव यह बताना है कि जो हरिजन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर के इस्लाम धर्म अंगीकार किया, सिख धर्म अंगीकार किया या क्रिश्चियन धर्म अंगीकार किया, उन लोगों ने हिन्दू ट्रेडीशंस के अन्याय के विरोध में ऐसा किया। उन्होंने ऐसा यह समझ कर किया कि यह धर्म इक्विलिटी वाले धर्म हैं, वहां जायेंगे तो हम को इक्वल स्टेटस मिल जायेगा। लेकिन कमनसीबी यह हुई कि अन्य धर्म में जाने के बावजूद भी वह सिख नहीं बन गये। क्रिश्चियन नहीं बने या और किसी धर्म के नहीं बने और सिख अस्पृश्य, क्रिश्चियन अस्पृश्य बन गये। जैसे त्रिशंकु की दशा होती है, वैसी दशा उन लोगों की हो गई। न वह क्रिश्चियन बने, न हिन्दू बने। ऐसी दशा उनकी हो गई। मैं इसको बहुत बड़ी मसमस्या मान रही हूं। आज जितने भी सुझाव हमारे यहां लाये हैं या जितने भी स्टेप्स लिये गये हैं, उनका लाभ भी लिया जाता है। इसके बा जूद भी हमारे समाज में अस्पृश्यता का जो एटीट्यूड है, जो मेंटेलिटी है अपर क्लास की, एटीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ऐसा मैं मानती हूं। मैंने इस विषय पर 6 साल तक रिसर्च कर के पी०एच०डी० का अभ्यास किया है, मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं कि उन्हें एजुकेशन लेने के बाद अगर अच्छी जाब मिली तो उनका स्टेंडर्ड आफ लिविंग तो अच्छा हो गया। वे मिडल क्लास में आ गये लेकिन जो मिडल क्लास का कामन स्ट्रीम या इसमें जो उनको जुड़

जाना चाहिये था, समाज ने उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिये था, हिन्दू समाज ने उन को एक्सेप्ट नहीं किया है। कितना भी पढ़ा-लिखा हो, आई.ए.एस. आफिसर हो, कहीं कलेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट आफिस में ऐसे बड़े पोस्ट पर होते हुए उनको आफिस में मान दिया जाता है, लेकिन जब घर में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, तो उनको वैसा मान अपर कास्ट वाले लोग चाहे ब्राह्मण हों, पटेल हो, क्षत्रिय हों या कोई और जाति हो उनको देते नहीं हैं। उनको अपने हरिजनवास में ही अपनी जानी पड़ता है, और जो व्यवहार और हरिजनों के साथ होता है, वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जाता है। हमारे समाज में हम सब यही देख रहे हैं। तो जो भेदभाव हमारे समाज में ये वह बिलकुल आज भी मौजूद हैं। अगर वह डाक्टर हो गया, तो वह प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकेगा। प्राइवेट प्रेक्टिस करनी है, तो हरिजनवास में जाकर करनी होगी। अगर वह एडवोकेट हो गया, तो उनको अपर कास्ट के क्लायंट्स नहीं मिलने वाले हैं। कितना भी अच्छा पढ़ा-लिखा हो, बिजिनेस मैनेजमेंट का अभ्यास करेगा, बाहर निकलेगा तो कोई प्राइवेट फर्म उसको नौकरी देने वाली नहीं है। पब्लिक फर्म में हम ले सकते हैं। गवर्नमेंट में सर्विस मिल सकती है, सेमी गवर्नमेंट में ले सकते हैं लेकिन जो खानगी पीढ़ियां हैं, उसमें किसी को नौकरी नहीं दी जाती है। अगर कहीं गलती से दी गई है और जब मालूम होता है तो कुछ न कुछ अलग-अलग बहाने बना करके उनको निकाल दिया जाता है। यही हमारे समाज का ढांचा है। अगर कहीं उनको काम मिल भी गया, तो जो अपर कास्ट के उसी क्वालिफिकेशन के युवक को जो पगार मिलती है, उतनी पगार उनको नहीं दी जाएगी आर्थिक रूप में भी डिसक्रिमिनेशन आज भी चालू है। ये सब तो प्राबलम्स हमारी है ही इसके बावजूद जो एट्रोसिटीज उनके साथ होती है, उनकी बात ही नहीं कर सकते। आप अगर इसकी हिस्ट्री देखें आजादी प्राप्त करने के बाद से तो पूरे देश में अलग-अलग स्टेट्स में हम देखेंगे कि तरह तरह की एट्रोसिटीज आज भी मौजूद है। उनमें कोई कमी नहीं हुई है। मैं तो ऐसा समझती हूं कि जैसे-जैसे जागृति आ रही है, वैसे-वैसे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और वैसे ही एट्रोसिटीज भी बढ़ रही है और एट्रोसिटीज भी ज्यादा गम्भीर हो रही है जिसका सामना करना भी उनकी ताकत के बाहर की वस्तु हो गयी है। आज अगर गांव में 25 हरिजनों के घर हैं, तो वे लोग गांव के बाहर रहते हैं। उनका पूरा ताल्लुक अपर कास्ट्स के साथ है। उनके घर पर काम करते हैं उनके खेतों में जाकर काम करते हैं। उनके साथ अगर अनबन हो गयी, उनकी सुपीरियारिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि उनका सोशल बायकाट किया जाता है। अगर एक व्यक्ति ने उनका कहना नहीं माना तो पूरे हरिजनवास का बायकाट किया जाता है। उनको कुएं से पानी नहीं दिया जाता है, उनको अनाज नहीं दिया जाता है, उनको काम नहीं दिया जाता है, उनको उधार कोई उधार देने वाला नहीं है। जब तक पूरी कम्युनिटी माफी नहीं मांगेगी तब तक ऐसा करते हैं। आज भी हरिजनों को दबाया जा रहा है। कोई परिवर्तन आया नहीं है। जो लोग शहर में रहते हैं, उनकी भी परिस्थिति वही है चाहे कितने भी पढ़े-लिखे हों। हमारे गुजरात का कहूं एक डिप्टी मिनिस्टर एक जमाने में थे, जब मिनिस्ट्री में से बाहर आये तो कोई मकान अपर कास्ट सोसायटी में उनको किराये पर नहीं दिया गया। आ जाओ अपने आवास में जाकर रहो। अब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ऐसा तो उनका मजाक हो रहा था। आज के जमाने में भी हमारे समाज की यही स्थिति है। इसमें परिवर्तन लाना खूब जरूरी है। इसलिए यह सुझाव जो आया है, उसको मैं एप्रीसिएट कर रही हूं। पर एक बात हम याद रखें कि उनको अच्छे ढंग से संस्कृताइज करें, अच्छी एजूकेशन दें, अच्छी नौकरियां दें, अच्छे काम पर लगायें, यह सब जरूरी है। नहीं जरूरी है, ऐसा तो नहीं है उनको सुधारना है, तो ये मार्ग है ही। उनको अच्छी एजूकेशन

दें, उनको नये काम पर लगायें, उनके राजकीय अधिकार एसर्ट करने का अधिकार हो, उनका आर्गेनाइजेशन मजबूत हो, ये तीन बातें उनके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन संस्कृताइजेशन फेल गया है, क्योंकि पढ़े-लिखे लोगों को भी समाज ने एक्सैप्ट नहीं किया है। बाद में रिलिजियन बदलने का अम्बेदकर जी ने जिन्दगी के अन्तिम दिनों में प्रयोग किया वह भी फेल गया। क्योंकि जो बौद्ध हुये उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिश्चियन हुये उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया और जो सिख या मुस्लिम हुये उनको भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक ही सुझाव है जो कि चल सकता है और वह उनके लिये राजकीय अधिकारों का है। जितने राजकीय अधिकार उनके पास ज्यादा होंगे संगठित होकर वे एक्सेप्ट करेंगे उतना ही उनका समाज में एक्सेप्टेशन होगा। यह एक ही बात है जो कि बहुत जरूरी है। मैं ऐसा मानती हूं कि समाज के ऊपर प्रैशर डाला जाय, पोलिटिकल प्रैशर डाले बिना यह समाज सुधरने वाला नहीं है और इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

मुझे एक और भी बात बतानी है कि मंदिर प्रवेश के बारे में अगर यहां दिल्ली में या अहमदाबाद में या बम्बई में कोई पढ़ी-लिखी, सूटेड-बूटेड या मेरे जैसी कोई अच्छे कपड़े पहनकर फैशनेबल महिला जायेगी तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि यह हरिजन है और उसको मंदिर में जाने से रोकते नहीं है लेकिन वही महिला जब अपने गांव में मंदिर में जायेगी तो वहां उसको प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि वहां उसकी आइडेंटिटी है। आपको हमारे मंदिर में उनको नहीं आना चाहिये। आपके अलग से छोटे मंदिर हैं आप वहां चले जाइये, अपने घर में जाइये। इसलिये इसका भी कोई हमें प्रोविजन करना चाहिये ताकि कहीं मंदिरों में, वैष्णों मंदिरों में तो मैंने देखा है कि यह मंदिर प्राइवेट मालिकी का है। तो जो गवर्नमेंट की मालिकी का है, जो पब्लिक का है, वहां अस्पृश्यों को ठोक नहीं सकते। कहीं मंदिरों में बोर्ड लग गये हैं कि यह मंदिर प्राइवेट मालिकी का है तो वहां अपनी मालिकी के मंदिर में तो किसको आने देना, किसको नहीं आने देना यह यह तय कर सकते हैं इस तरह लीगली उन्होंने लामल रास्ते निकालने चाहिये वह रास्ते निकाल भी रहे हैं। इसलिये इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिये।

अब मैं यह लास्ट प्लाइंट पर आ रही हूं कि आज का जो सुझाव है, जो सुझाव मैं रिजर्वेशंस में सभी स्थानों पर उन लोगों को नियुक्ति दी जाये क्योंकि यह स्थिति है कि जगह खाली है और डिग्री होते हुये भी नौकरी नहीं मिलती। आज भी कालेज में काम कर रही तो मेरा अनुभव है कि कई जगहें खाली हैं। इसका एक ही कारण है, इसमें थोड़ी सच्चाई भी है कि पूरे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वाले लोग नहीं मिल रहे हैं; यह कहीं लिमिटेड आकूपेशन के लिये सच हो सकता है लेकिन बाकी जो व्यवसाय हैं जहां स्पेशल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं हैं वहां बहुत उसको लताड़ दिया जाता है कि आप उस काम के योग्य नहीं हैं, आपकी इंटरव्यू अच्छी नहीं हुई। ऐसे ही बहाने बना कर उनको रखा नहीं जाता है और पोस्टस री-एडवर्टाइज की जाती हैं और पूरा रिजर्वेशन होते हुये भी रिजवजगह नहीं भरीनहीं जाती है। सौभाग्य से हमारे गुजरात में ज्यादातर रिजर्वेशंस भरवा सके हैं, लेकिन पूरे देश में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। यह भी एक बहुत महत्व की बात है कि इसके बारे में क्या किया जाये यह सुझाव भी जरूरी है। आज जो मुद्दा है कि जिन्होंने क्रिश्चियेनिटी एक्सेप्ट किया है वह लोग रिजर्वेशन में इन्क्लूड किये जायें जिसमें एक बात मैं नोट कराना चाहती हूं इसलिये मैं पूरी तरह से इसमें सम्मत नहीं हो सकती हूं कि अगर यह हो गया तो जो हरिजन एलाइट हो गये हैं कि जो क्रिस्टी हरिजन है, जो एलाइड हो गये हैं, जो सिख हरिजन हैं वे पढ़-लिख कर आगे बैठे हैं, बात करनी है। तो वह जो एलाइड वर्ग हुये हैं वह क्रिश्चियन हुए, हैं सिख हुये हैं, मुस्लिम हुये हैं, अगर उन लोगों को शामिल दिया गया तो जो पन्द्रह प्रतिशत तक का रिजर्वेशन है इसमें यह एलाइड वर्ग का ही चांस लगेगा और जो पिछड़ी

हैं, अन-टचेबल्स में भी जो बैकवर्ड हैं और अन-टचेबल्स में भी जो अन-टचेबल हैं, उन लोगों को कभी इसमें चांस नहीं मिलने वाला है। जो पोलिटिकल सीट्स मांग की जाती हैं जिसको पोलिटिकल पार्टीज की ओर से टिकट दिया जाता है इस का जो अभ्यास करें तो आपको समझ में आयेगा अपरकास्ट हरिजन को ही स्थान मिलना है। और पूरा हाउस भी मेरे साथ सहमत होगा कि इसमें जो अपरकास्ट हरिजन हैं हमारे गुजरात में, उनको गरौड़ा ब्राह्मण कहते हैं और जो दूसरे वणफर हैं जोकि हिन्दुओं को और ज्यादातर एक्सेप्टेबल हैं, उन लोगों को टिकट दी जाती है, लेकिन जो चमार हैं, जो सेनमा हैं, भंगी हैं या स्कावेंजर्स कम्युनिटी के हैं उन्हें टिकट नहीं दी जाती है। उसका बहुत कम परसेंटेज है। ऐसा ही जाब्स में भी होता है कि जो यह लोअर कम्युनिटी अनटचेबल्स की है, उन लोगों को रिजर्वेशंस में कभी भी चांस नहीं मिल पाता है। अगर मुझे एक मैनेजमेंट की तौर पर पसन्द करना है और मुझे फोर्स कर दिया गया कि यह रिजर्व सीट है और आपको अस्पृश्य को लेना ही है तो उसमें अगर एक उम्मीदवार वणकर है और दूसरा उम्मीदवार भंगी है तो वणकर को पसन्द करेंगे और भंगी को निकाल देंगे। आज यह हो रहा है और इसके लिए भी हमें कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। उनको स्वीकार करना चाहिये, इसके बारे में मैं सहमत हूं, लेकिन यह लोग आयेंगे तो पिछड़े अस्पृश्क लोगों के अधिकार बिल्कुल छीने जायेंगे। तो इसके लिये भी प्रोविजन रखकर नया सुधार लाने की जरूरत है। मैं सोचती हूं कि इसके बारे में यह पूरा हाउस विचार करे, कांग्रेस पार्टी भी इस पर विचार करे और गवर्नमेंट की ओर से कोई रिजाल्यूशन आए। यह बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानती हूं।

[माननीय उपसभापति पीठासीन हुई]

उपसभापति जी, मैं एक और सुझाव ा चाहती हूं, जब तक प्राइवेट जाब्स ें मिलेंगे तब तक सब हरिजन लोगों की जो अनएम्प्लायमेंट की प्राब्लम रहेगी, वह स्थिति दिन-ब-दिन बढ़ती जायेगी क्योंकि आज उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की है तो कल ये सब काम मांगने आयेंगे और गवर्नमेंट जाब्स के सिवाय उनके लिये दूसरा काम ही नहीं है। अगर वह एक दुकान लगाकर भी बैठेगा तो उसके यहां सामान खरीदने कोई सवर्ण नहीं जायेगा। फिर उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उसका व्यापार कैसे चलेगा? तो यह बात भी जरूरी है कि जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हों या कोई एंटर प्राइजेज हों, उसमें गवर्नमेंट किसी तरीके से उनकी मदद करे, चाहे लोन से मदद करे या सब्सिडी के द्वारा मदद करे या ग्रांट के द्वारा मदद करे। तो इसके लिये कानूनी सुविधा करनी चाहिये कि उनको भी रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा चाहे शैडयूल्ड कास्ट हों, शैडयूल्ड ट्राइब हों या अन्य पिछड़े वर्ग के हों, यह काम सबको एक्सेप्टेबल रहनी चाहिये क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस कम्युनिटी को काम मिलने वाला नहीं है। तो ये कुछ बातें मैं रखना चाहती हूं, वैसे तो बहुत-सी बातें रह जाती हैं, लेकिन चूंकि और भी मेंबर्स बोलने वाले होंगे, इसलिये मैं सुझाव रखती हूं कि यह जो मैंने पाइंटस रखे हैं खास तौर पर जो लोग धर्म-परिवर्तन के बावजूद भी अस्पृश्य रहे हैं और जो लोग आज भी अस्पृश्य हैं और गिरे हुओं में भी गिरे हुये हैं, उन लोगों के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि यह जो पिछड़े हैं, जो अंत्य हैं, उनका गुस्सा बहुत बढ़ जायेगा और हमें उसको फेस करना पड़ेगा। तो नये सुझावों में यह बात भी शामिल की जाय और इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करती हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have two minutes. Dr. Narreddy Thulasi Reddy. You can start. After two minutes, we will start another business.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, this

is private members' legislative business. What I am going to say is purely my personal viewpoint and not my party's viewpoint. I wholeheartedly oppose this Bill. First of all, I oppose the concept of reservation itself. Even after forty-six years of independence, we are not in a position to ask for the abolition of, the eradication of, the reservation system as such. Unfortunately, even after forty-six years of independence, we are asking for more reservation. In fact, we are suffering from a reservation syndrome. Whenever the reservation issue comes up, we bring the name of Dr. Ambedkar and try to shut the mouths of the people. I strongly feel that had Dr. Ambedkar been alive today, he would have himself asked for the eradication of the reservation system. He would have himself asked for the abolition of the reservation system. I am strongly of this view. (*Interruptions*) This is my personal view. This is Private Members' Legislative Business. (*Interruptions*). I have said at the outset that it is my personal view-point. Don't attribute it to my party. (*Interruptions*). This is my personal view.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, the time is over. You can continue whenever we take up this Private Members' Business. Now we will take up clarifications. The Minister is here. If you want, he can make the statement again, or if you are happy, we can go ahead with the clarifications straightway.

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

Uruguary round talk

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): We could convert it into a discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have to decide whether we go by party. We cannot change our procedure. Our convention and procedure is that since it was a statement it cannot be converted into a discussion, it has to be 'clarifications' (*Interruptions*). Copies were circulated yesterday.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Let them first explain why they were so shy in admitting that they had signed the Agreement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They will explain.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI (Orissa): The Prime Minister is here. We would like to know from him the latest position.

SHRI S. JAIPAL REDDY: It could be converted into a discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You did not tell me in the morning. Last minute how can I convert clarifications into a discussion.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I did not know that on this very important subject, this technical procedure of clarifications...

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not technical. The House runs on technicalities. The House does not run on my goodwill or your goodwill only, it runs on certain procedures. If you had told me, no problem, we could have done that. It would have been absolutely right.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): We were informed in the afternoon that the Prime Minister would take the floor at 4.30 and would speak. After that, clarifications will be sought. So, let the Prime Minister speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It was never said. There is some misunderstanding...